उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 6 | 16-31 मार्च 2021 | ₹ 20/-

बाटला हाउस मुठभेड़ के दोषी को सजा-ए-मौत

- निकिता तोमर के हत्यारों को उम्रकैद
- सऊदी अरब द्वारा यमन में युद्धविराम की पेशकश
- श्रीलंका में बुर्का और मदरसों पर पाबंदी की तैयारी
- इस्लामोफोबिया के खिलाफ विश्व दिवस

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी-51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

बाटला हाउस मुठभेड़ के दोषी को सजा-ए-मौत 04
निकिता तोमर हत्या के आरोपी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद 05
आयशा की आत्महत्या से हिला मुस्लिम समाज 07
वसीम रिजवी की याचिका का विरोध 09
धर्मांतरण अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी 12

विश्व

नाइजर में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा सैकड़ों निर्दोषों की हत्या 14
श्रीलंका में बुर्का और मदरसों पर पाबंदी की तैयारी 17
पाकिस्तान में हिंदुओं पर इस्लामिक शिक्षा थोपे जाने से चिंता 19
रोहिंग्या राहत शिविर में अग्निकांड 20
शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 14 को फांसी 21

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब द्वारा यमन में युद्धविराम की पेशकश 22
सऊदी अरब में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी 24
इजरायल के साथ चार और अरब देशों के संबंध स्थापित होने की संभावना 25
दमिश्क में ईरानी मिलिशिया के ठिकाने पर इजरायली हमले 26
ईरानी जलयान पर इजरायल का हमला 27

अन्य

इस्लामोफोबिया के खिलाफ विश्व दिवस 28
मुस्लिम संगठन की ओर से दस हिंदू उम्मीदवार चुनावी मैदान में 28
उर्दू के प्रचार-प्रसार के लिए इमारत शरिया मैदान में 29
जम्मू-कश्मीर में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड 30
पॉपुलर फ्रंट का कमांडर गिरफ्तार 30

सारांश

13 वर्ष के बाद आखिरकार बहुचर्चित बाटला हाउस मुठभेड़ के मुकदमे का फैसला न्यायालय ने सुना दिया है। मुख्य अभियुक्त आरिज खान उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। सितंबर 2008 में हुए दिल्ली में सीरियल बम धमाकों ने राजधानी को हिला कर रख दिया था। पुलिस की जांच से इस बात का पता चला कि हैदराबाद, जयपुर, गुजरात और दिल्ली में हुए बम धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन नामक इस्लामिक आतंकवादी संगठन का हाथ है। अहमदाबाद में मुफ्ती अबु बशीर नामक एक संदिग्ध को पकड़ा गया था, जिससे मिली जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने ओखला के जामिया नगर कॉलोनी में स्थित बाटला हाउस के एक फ्लैट पर छापा मारा। इस मुठभेड़ में दो संदिग्ध आतंकी मोहम्मद साजिद और आतिफ अमीन मारे गए। जबकि दो आतंकवादी घटनास्थल से फरार होने में सफल रहे। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। दो आतंकवादी एक टेलीविजन स्टूडियो से तब पकड़े गए जब वे वहां इंटरव्यू दे रहे थे। बाद में दो अन्य आतंकवादी पकड़े गए, जिन्होंने यह स्वीकार किया कि देश के विभिन्न नगरों में हुए बम धमाकों में उनका हाथ था।

उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बृजलाल ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेसियों के एक वर्ग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बाटला हाउस मुठभेड़ को सबसे पहले फर्जी घोषित किया था। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने सरकार से यह मांग की कि इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करवाई जाए। मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले एक तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री के इशारे पर आजमगढ़ में उलेमा काउंसिल नामक एक मुस्लिम संगठन का गठन किया गया। इस संगठन के प्रमुख आमिर राशदी कांग्रेसियों के आर्थिक सहयोग से ढ़ाई हजार मुसलमानों की एक विशेष ट्रेन लेकर दिल्ली पहुंचे और वहां पर उन्होंने संसद मार्ग पर प्रदर्शन करके यह आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर मासूम मुस्लिम छात्रों को आतंकवाद के झूठे आरोप में फंसाया है। उनका समर्थन करने वालों में पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और कपिल सिब्बल आदि नेता भी शामिल थे। सत्तारूढ़ दल के इशारे पर अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करवाने की मांग की थी, जिसे तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने ठुकरा दिया था। उन दिनों जामिया मिलिया इस्लामिया के उपकुलपति मुशिरुल हसन थे, जिनके तार कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उनके इशारे पर जमात-ए-इस्लामी और वामदलों से संबंधित छात्र संगठनों ने भी दिल्ली में अनेक जगह पर प्रदर्शन करके इस मुठभेड़ को फर्जी करार देने का प्रयास किया था। मुशिरुल हसन ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि पुलिस ने क्योंकि जामिया के दो छात्रों को आतंकवादी होने के मनगढ़ंत आरोप में फंसाया है, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें न्यायालय में निर्दोष साबित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा।

मनमोहन सिंह सरकार के एक वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री सुशील शिंदे ने सबसे पहले भगवा आतंकवाद का बेसुरा राग अलापना शुरू किया था। उनके इशारे पर कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने चहेते पत्रकार अजीज बर्नी से एक पुस्तक लिखवाई, जिसमें मुंबई आतंकवादी हमलों के तार संघ और इजरायल से जोड़ने का प्रयास किया गया था। क्योंकि एक आतंकवादी आमिर अजमल कसाब मौके पर ही पकड़ा गया था, इसलिए इस कांग्रेसी दुष्प्रचार का पर्दाफाश जल्द ही हो गया।

अफ्रीका में मुस्लिम आतंकवादी संगठन अपने पैर पसार चुके हैं। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े हुए संगठन बोको हरम और अल शबाब नामक अतिवादी इस्लामिक संगठनों ने विशुद्ध इस्लामिक हुकूमत कायम करने के लिए गत एक दशक से नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून को गृह युद्ध का शिकार बना रखा है। अब तक एक लाख से अधिक बेगुनाह मारे जा चुके हैं। जबकि 23 लाख लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा है। इन राज्यों में स्थिति दिन-प्रतिदिन विस्फोटक होती जा रही है।

बाटला हाउस मुठभेड़ के दोषी को सजा–ए–मौत

इंकलाब (16 मार्च) के अनुसार बहुचर्चित बाटला हाउस मुठभेड़ केस में आरिज खान नामक आरोपी को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से दस लाख रुपये इस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की पत्नी को दिया जाएगा। आरिज खान के वकील एम.एस. खान ने मौत की सजा सुनाए जाने पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा है कि आरिज खान के विरूद्ध कोई ऐसा सबूत या गवाही नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि उसने किसी पर गोली चलाई है। जबकि इस मामले में शहजाद नामक आरोपी को पहले ही उम्रकैद की सजा मिल चुकी है इसलिए आरिज को भी उम्रकैद की सजा मिलनी चाहिए थी। अब हम इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। खान ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत किसकी गोली लगने के कारण हुई है और न ही एनकाउंटर के समय वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारियों में से ही किसी ने वहां से किसी व्यक्ति के भागने की बात कही है। साथ ही यह अब तक साबित नहीं हो पाया कि जिस मकान में एनकाउंटर हुआ था वहां कौन लोग और कब से रह रहे थे।

बाटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर, 2008 को हुआ था, जिसमें दो आतंकवादियों साजिद और आतिफ को पुलिस ने मार गिराया था। इसी दौरान स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की भी मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक दो आतंकवादी शहजाद और आरिज खान उर्फ जुनैद घटनास्थल से भागने में सफल हो गए थे। पुलिस ने फरवरी 2010 में शहजाद को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार शहजाद ने ही पुलिस पर गोली चलाई थी, जिसमें इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए थे और हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह और राजवीर सिंह घायल हो गए थे। तीन वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद न्यायालय ने शहजाद को जुलाई 2013 में

दोषी करार दिया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ अपील की थी और उसे फांसी देने की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने एक दूसरे आरोपी आरिज खान की तलाश शुरू की और उसे 14 फरवरी 2018 को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वह बाटला हाउस एनकाउंटर में शामिल था और दिल्ली में हुए बम धमाकों में उसका हाथ था। आरोपी के वकील खान के अनुसार इस केस में 16 गवाहों के बयान भी लिए गए थे। मगर कोई भी गवाह आरोपी का हुलिया नहीं बता पाया। सरकारी वकील ने यह दावा किया था कि यह वही व्यक्ति है जो बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान वहां से फरार हो गया था।

इंकलाब (17 मार्च) के अनुसार राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर राशदी ने आरिज खान को सजा-ए-मौत दिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि समाज के हर वर्ग के लोगों ने सरकार से इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच करवाने की मांग की थी। मगर सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार और प्रशासन ने अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए छात्रों को झूठे आरोपों में फंसाया और इनके खिलाफ जाली सबूत पेश किया, ताकि उस समय की कांग्रेस की सरकारें अपनी विफलताओं को छिपा सकें। उन्होंने कहा है कि हमें आशा है कि उच्च न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल शुरू से ही इस मुठभेड़ को फर्जी मानती आ रही है।

निकिता तोमर हत्या के आरोपी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद

इंकलाब (27 मार्च) के अनुसार हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो आरोपियों तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन दोनों को 24 मार्च को न्यायालय ने दोषी करार दिया। जबकि इन्हें पिस्तौल उपलब्ध कराने वाले तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को सबूत न मिलने के कारण बरी कर दिया गया है। इस मुकदमें में कुल 57 गवाहों ने गवाहियां दी थीं। जनता के दबाव पर हरियाणा सरकार ने इस मुकदमे की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया था और हत्या के सिर्फ 11 दिन के अंदर ही फरीदाबाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट भी दायर कर दी थी। आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि वे आरोपियों को मौत की सजा दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। वहीं मृतका की मां ने कहा कि इन दोनों आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी।

बी.कॉम की छात्रा निकिता तोमर को 26 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मार दी गई थी। हत्या की साजिश का आरोप सोहना के रहने वाले रेहान और नूंह के अजहरुद्दीन पर लगाया गया था, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों का संबंध मेवात के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से बताया जाता है, इसलिए जनता ने हरियाणा में जगह-जगह प्रदर्शन करके यह शंका व्यक्त की थी

कि पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार के आदेश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया था और मुकदमे की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया था।

इंकलाब (25 मार्च) के अनुसार मृतका के पिता मूलचंद तोमर ने इसे लव जिहाद का मामला बताया था। निकिता तोमर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली थी और वर्तमान में वह अपने परिवार सहित हरियाणा के बल्लभगढ़ में रह रही थी। 26 अक्टूबर 2020 को जब वह परीक्षा देने के बाद कॉलेज से बाहर निकली तो आरोपी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया। जब निकिता ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे गोली मार दी। बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। हत्या की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

इससे पूर्व भी आरोपियों ने 2008 में निकिता का अपहरण करने का प्रयास किया था और निकिता के परिवारजनों ने इस संदर्भ में पुलिस में रपट भी दर्ज कराई थी। मगर क्योंकि आरोपियों के परिवारजन हरियाणा के प्रभावी राजनीतिक परिवारों से संबंधित थे इसलिए पुलिस के तत्कालीन अधिकारियों ने दबाव डालकर दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया था। निकिता की हत्या के बाद हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश पर इस मामले की सुनवाई के लिए अतिरिक्त सेशन जज सरताज बसवाना के नेतृत्व में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था। न्यायालय ने तीन महीने 22 दिन तक प्रतिदिन इस मुकदमे की सुनवाई की। तौसीफ के दादा कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं और आज भी इसके एक नजदीकी रिश्तेदार हरियाणा में विधायक हैं।

टिप्पणी : तौसीफ का संबंध मेवात के एक प्रभावशाली खानदान से है। इसकी पृष्ठभूमि मुख्यत: कांग्रेस की रही है। तौसीफ के दादा हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जबकि उसके पिता भी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उसके चाचा अभी भी विधायक हैं। तब समाचारपत्रों में यह भी आरोप लगाया गया था

कि उस समय फरीदाबाद के जो पुलिस आयुक्त थे उनके भी आरोपी के परिवार से पारिवारिक संबंध थे। मृतका के पिता ने टीवी चैनल पर यह भी स्वीकार किया कि उन पर भारी राजनीतिक दबाव डाला गया था, इसलिए उन्हें यह केस वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा था। राजनीतिक प्रवेक्षकों का कहना था कि अगर यह केस वापस नहीं लिया जाता तो आरोपियों को निकिता तोमर की दिनदहाड़े हत्या करने की हिम्मत नहीं होती। आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए हरियाणा के अनेक क्षेत्रों में उग्र प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा था कि यह मामला लव जिहाद का है इसलिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

आयशा की आत्महत्या से हिला मुस्लिम समाज

इस महीने के प्रारम्भ में दहेज के लोभियों के उत्पीड़न से तंग आकर एक 23 वर्षीया मुस्लिम युवती आयशा आरिफ खान की आत्महत्या के बाद सोशल मीडिया में जो बवाल मचा था उसके कारण पूरा मुस्लिम समाज हिल गया है। आजादी के बाद पहली बार मुस्लिम समाज में दहेज की कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की समाज सुधार कमेटी की राष्ट्रीय स्तर पर दस दिन तक जो बैठक हुई थी उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नौ प्रमुख नेताओं की ओर से एक संयुक्त अपील मुस्लिम समाज के नाम जारी की गई जो कि **रोजनामा सहारा** के 27 मार्च के अंक में मुख्य पृष्ठ पर पूरे पृष्ठ के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित हुई है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि निकाह बड़ी सादगी से मस्जिदों में किए जाएं और दहेज की मांग न की जाए। मंगनी, हल्दी और रतजगा की प्रथाओं से परहेज किया जाए। क्योंकि यह सब इस्लाम की मूल भावना के सरासर खिलाफ है। विवाह में दावत या वलीमा न देने, आतिशबाजी, गाना बजाने और वीडियोग्राफी से बचने पर भी जोर दिया गया है। इस अपील पर

हस्ताक्षर करने वालों में मौलाना मोहम्मद रब्बे हसनी नदवी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और महामंत्री मौलाना मोहम्मद वली रहमानी के अतिरिक्त जमीयत उलेमा और जमात-ए-इस्लामी के अतिरिक्त शिया संगठनों के मुख्य नेता भी शामिल हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दस दिनों तक देश भर में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दहेज के खिलाफ अभियान चलाने की भी घोषणा की है।

सहाफत (2 मार्च) के अनुसार गुजरात में कम दहेज लाने पर पति और ससुराल वालों की ओर से निरंतर तीन वर्ष तक उत्पीड़न का शिकार बनने वाली मुस्लिम लड़की आयशा ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था, उससे मुस्लिम समाज में हंगामा मच गया है। यह लड़की राजस्थान के जालौर की रहनेवाली थी और उसकी शादी अहमदाबाद में हुई थी। इस महीने के प्रारम्भ में इस लड़की ने उत्पीड़न और अत्याचार से तंग आकर साबरमती नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस लड़की ने अपने ससुराल वालों और पति पर दहेज कम लाने के कारण की जाने वाली हिंसा का कच्चा चिट्ठा बयान किया था। समाचार के अनुसार आयशा आरिफ खान ने 25 फरवरी को आत्महत्या की थी। बाद में आयशा के माता-पिता की शिकायत पर उसके ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दायर करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि आयशा बानो की शादी जुलाई 2018 में आरिफ खान से हुई थी जो कि अहमदाबाद का रहने वाला है। आयशा के पिता ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि शादी के चंद महीने बाद ही आरिफ खान ने उसकी बेटी को वापस मायके भेज दिया था और उनसे मोटी रकम दहेज के रूप में मांगी थी। पिता ने अपनी पुत्री को बसाने के लिए डेढ़ लाख की रकम उसके पति को दी थी। मगर उन्होंने और दहेज की मांग की और आयशा को वापस मायके भेज दिया। ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप में मुकदमें भी दर्ज करवाए गए थे मगर इससे समस्या हल नहीं हुई। आत्मनिर्भर बनने के लिए उसने एक बैंक में नौकरी भी शुरू की। मगर ससुराल वाले लगातार और अधिक दहेज की मांग करते रहे। उसकी आत्महत्या का समाचार जैसे ही वायरल हुआ कोई मुस्लिम अखबार ऐसा नहीं था जिसने इस मामले को न उछाला हो।

सियासत (8 मार्च) के अनुसार अहमदाबाद पुलिस के हाथ आयशा का लिखा हुआ एक पत्र लगा है, जिसमें कहा गया है कि उसे उसके ससुराल वालों ने चार-चार दिन तक कमरे में बंद रखा। इस दौरान उसे न तो खाना और न ही पानी दिया गया। ससुराल वालों ने मारपीट की जिससे उसका गर्भपात हो गया और उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया।

सियासत (4 मार्च) ने इस बात पर हैरानी प्रकट की थी कि आयशा के पत्थर दिल पति को अपनी पत्नी की मौत का कोई मलाल नहीं है। पूछताछ के दौरान अहमदाबाद पुलिस के डीसीपी रवीन्द्र पटेल ने बताया कि आरिफ का रवैया चौकाने वाला था। उसे आयशा की मौत पर नाम मात्र भी दु:ख नहीं है।

सियासत (7 मार्च) ने अपने संपादकीय में भारतीय समाज में दहेज के कारण बढ़ रही मौतों पर गहरी चिंता प्रकट की है और कहा है कि हालांकि देश के कानून में दहेज पर रोक लगाई गई है। मगर भारतीय समाज में दहेज की कुप्रथा जारी है। दु:ख की बात यह है कि अब यह

कुप्रथा मुसलमानों में भी तेजी से फैल रही है। समाज को इस संबंध में जागरूक होना चाहिए। गृह मंत्रालय के स्पेशल क्राइम ब्यूरो के आकड़ों के अनुसार 2014 में हर एक घंटे में देश के किसी न किसी कोने में औसतन एक महिला को दहेज के कारण आत्महत्या करनी पड़ी है।

औरंगाबाद टाइम्स (2 मार्च) ने अपने संपादकीय में आयशा जैसी लड़कियों की आत्महत्या के लिए समूचे समाज को दोषी ठहराया है जो कि शुरू से ही अपनी बेटियों को यह शिक्षा देते हैं कि वह परिवार की इज्जत के कारण ससुराल के हर जुल्मों-सितम को बर्दाश्त करे।

अवधनामा (2 मार्च) ने आयशा की मौत के लिए समूचे मुस्लिम समाज को दोषी ठहराया है और कहा है कि दहेज की कुप्रथा इस्लाम का अंग नहीं है।

हमारा समाज (3 मार्च) ने भी कहा है कि मुसलमानों की सभी समस्याओं का मूल कारण यह है कि हम इस्लाम और शरा से दूर होते जा रहे हैं।

वसीम रिजवी की याचिका का विरोध

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की विवादित 26 आयतों को कुरान से हटाने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उसका आमतौर पर मुसलमानों के सभी वर्गों में जोरदार विरोध शुरू हो गया है। उर्दू समाचारपत्रों के अनुसार अब तक एक दर्जन से अधिक स्थानों पर विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने वसीम रिजवी के खिलाफ साम्प्रदायिकता भड़काने के आरोप में थानों में मुकदमें दर्ज करवाए हैं।

इंकलाब (14 मार्च) के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश सोहेल ऐजाज सिद्दीकी ने कहा है कि मेरा अनुमान है कि सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका को तुरंत खारिज कर देगा और वसीम रिजवी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। खास बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर शिया और सुन्नी दोनों सम्प्रदाय एकजुट हो गए हैं।

इंकलाब (20 मार्च) के अनुसार दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने वसीम रिजवी पर लानत भेजी और अखिलेश यादव और आजम खान को भी इसके लिए दोषी ठहराया। खास बात यह है कि जामा मस्जिद के इतिहास में पहली बार मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद के महासचिव और शिया नेता मौलाना कल्बे जवाद नकवी सहित दर्जनों शिया विद्वानों ने सुन्नी अहमद बुखारी की कयादत में नमाज पढ़ी और इसके बाद शिया और सुन्नी धार्मिक नेताओं ने संयुक्त रूप से वसीम रिजवी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शाही इमाम ने कहा कि दुनिया में किसी की यह हिम्मत नहीं कि जो कुरान में कोई परिवर्तन कर सके। 26 आयतों को तो हटाना दूर की बात है कोई एक बिंदु तक को हटा नहीं सकता। जो लोग यह मांग कर रहे हैं उनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है और ऐसा व्यक्ति स्वत: ही इस्लाम से खारिज हो जाता है। अहमद बुखारी ने कहा कि अखिलेश सरकार ने ऐसे भ्रष्ट व्यक्तियों का समर्थन किया है, इसलिए उन्होंने इस्लाम रसूल और कुरान के खिलाफ इस तरह की गुस्ताखी की है। उन्होंने कहा कि

अखिलेश यादव का सेक्युलरिज्म सिर्फ दिखावा है। मुझे आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका को रद्दी की टोकरी में फेंक देगी।

मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान चाहे उनका संबंध किसी भी विचारधारा से हो इस मुद्दे पर हम एकजुट हैं। कुरान, इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ कोई भी साजिश किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दी जाएगी। ऑल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने कुरान पाक के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करने की निंदा की है और कहा है कि दुनिया के किसी भी न्यायालय को यह ताकत हासिल नहीं है कि वह कुरान में कोई परिवर्तन करने के बारे में सोच भी सके। यही कारण है कि इससे पूर्व कुरान में संशोधन के लिए जो भी याचिका देश की विभिन्न न्यायालयों में दायर की गईं उन्हें न्यायालय ने फौरन रद्द कर दिया और उस पर कोई सुनवाई नहीं की। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरूल इस्लाम खान ने कहा कि हमने इस गुस्ताखी और इस्लाम विरोधी हरकत के लिए वसीम रिजवी से जवाब तलब किया है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह इस्लाम पर कोई प्रश्न उठाए।

जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस याचिका की निंदा करते हुए कहा कि कोई भी मुसलमान वसीम रिजवी को मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सब यह जानते हैं कि वसीम रिजवी की यह हरकत किसी गहरी साजिश का नतीजा है फिर हम इसे क्यों महत्व दें? उन्होंने कहा कि जहां तक 26 विवादित आयतों का संबंध है हम उनके स्पष्टीकरण के लिए शीघ्र ही उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में इनका अनुवाद स्पष्टीकरण और व्याख्या के साथ एक पुस्तिका प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी ने खलीफा राशिदून के बारे में जो टिप्पणी की है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण

है और उसे कोई भी मुसलमान कभी सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि शिया तक उनसे किनारा कर चुके हैं और वे उन्हें शिया मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने यह मांग की है कि वसीम रिजवी को भारत से निष्कासित कर दिया जाए क्योंकि वे विभिन्न सम्प्रदायों के बीच नफरत फैला रहे हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (20 मार्च) के अनुसार दिल्ली अलपसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. जफरूल इस्लाम खान ने सोशल मीडिया पर वसीम रिजवी के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया है और उन्होंने रिजवी के खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज 27 मुकदमों का विवरण पेश किया है। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज हैं, क्या वह बदनाम मुजरिम नहीं है? उन्होंने कहा है कि वसीम रिजवी के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या, धोखाधड़ी और लूटमार के 27 मुकदमे दर्ज हैं। मगर अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त एक दर्जन मुकदमो में सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है। वसीम रिजवी पर शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते ओकाफ पर अवैध कब्जा करने, लोगों से धोखाधड़ी करने, मारपीट आदि के अनेक मुकदमें दर्ज हैं। अब शिया उन्हें इस्लाम से खारिज कर चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति इस्लाम, रसूल और कुरान के दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है। नवंबर 2017 में मुसलमानों की भावनाओं को आघात पहुंचाते हुए इन्होंने अयोध्या की विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए शिया वक्फ बोर्ड की ओर से समर्थन की घोषणा की थी। इसी तरह दिसंबर 2017 में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे अनुरोध किया था कि तीन तलाक कानून में सजा की अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दिया जाए। जनवरी 2018 में रिजवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आतंकवादी संगठन बताया था। इससे पूर्व फरवरी 2018 में उन्होंने कई मस्जिदों को हिंदुओं को सौंपने की वकालत भी की थी। नवंबर 2018 में रिजवी ने बाबरी मस्जिद ध्वस्त किए जाने से संबंधित एक फिल्म भी बनाई थी, जिसका शीर्षक था 'राम जन्मभूमि'। बाद में यह फिल्म विवादों में फंस गई। जनवरी 2019 में रिजवी ने इस्लामिक मदरसों पर आतंकवाद को प्रोत्साहन देने का आरोप लगाते हुए सरकार से उन्हें बंद करने की मांग की थी। इसी तरह से सितंबर 2019 में रिजवी ने हजरत आयशा से संबंधित एक फिल्म बनाई थी जिसका देश भर में मुसलमानों ने विरोध किया था।

हमारा समाज (15 मार्च) के अनुसार सज्जादानशीन काउंसिल ने कहा है कि वसीम रिजवी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने से बचने के लिए देश की शांति व्यवस्था और भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। इसलिए उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

इत्तेमाद (16 मार्च) के अनुसार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद के निर्देश पर वसीम रिजवी को एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी हरकतें आपत्तिजनक और शांति व्यवस्था तथा समाज की समरसता के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें फौरन माफी मांगनी चाहिए। इस नोटिस में कुरान की 26 विवादित आयतों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई रिजवी की याचिका की निंदा की गई है। आयोग ने नोटिस में कहा है कि 21 दिनों के अंदर रिजवी यह याचिका

वापस ले लें और बिना शर्त माफी मांगें वरना उनके खिलाफ नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी एक्ट 1992 की धारा 9 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दैनिक सहाफत (16 मार्च) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने मांग की है कि रिजवी के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए, क्योंकि वे न सिर्फ कुरान का अपमान कर रहे हैं बल्कि समाज में अशांति और साम्प्रदायिक तनाव भी पैदा कर रहे हैं।

सहाफत (20 मार्च) के अनुसार सैयद जलील अहमद, अध्यक्ष मजलिस तामिर-ए-मिल्लत ने वसीम रिजवी की याचिका की निंदा की है और उन्हें इस्लाम और कुरान का दुश्मन करार दिया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 मार्च) के अनुसार मुसलमानों की एक भीड़ ने वसीम रिजवी द्वारा बनाई गई उनकी हयाती कब्र को तोड़ दिया है। एक उलेमा ने यह घोषणा की है कि रिजवी की न तो नमाज-ए-जनाजा ही पढ़ाई जाएगी और न ही उन्हें मुसलमानों के किसी भी कब्र में दफन होने दिया जाएगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (15 मार्च) के अनुसार लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य प्रो. ताहिर महमूद ने कहा है कि कुरान पाक के खिलाफ न्यायालय में जो याचिका दायर की गई है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 53ए और 295ए के तहत गम्भीर अपराध है। उन्होंने कहा कि 1984 में भी एक व्यक्ति ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में इसी तरह की एक याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि न्यायालय का इस मामले में नोटिस लेना भारतीय संविधान के खिलाफ है और याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय में इस मामले को उठाकर गंभीर अपराध किया है।

धर्मांतरण अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी

अवधनामा (25 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर धर्मांतरण से संबंधित जो अध्यादेश योगी सरकार लाई थी उसे अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वीकृति दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही धर्मांतरण अध्यादेश अब कानून बन गया है। राज्यपाल ने इस अध्यादेश को 4 मार्च को ही स्वीकृति प्रदान कर दी थी और इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। बाद में विधान सभा और विधान परिषद् से पारित करवाने के बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने भी इसकी पुष्टि की है। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया था। योगी सरकार ने

24 नवंबर को यह अ ध्यादेश मंजूर किया था। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर उसका धर्मांतरण करवाता है और उससे विवाह करता है तो उसे दस वर्ष कैद की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत अगर कोई महिला सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करती है तो उसकी शादी अवैध घोषित की जा सकती है और जो महिला शादी के बाद धर्म बदलना चाहती है उसे भी इसके लिए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देना होगा। इसकी पुलिस जांच करेगी कि कही यह धर्म परिवर्तन जबर्दस्ती, धोखे से या प्रलोभन देकर तो नहीं करवाया जा रहा। जांच में अगर इस बात की पुष्टि नहीं होती है तो ही इसे प्रशासन धर्मांतरण करने की अनुमति देगी।

यहां उल्लेखनीय है कि धर्मांतरण अध्यादेश पारित होने के बाद लव जिहाद के नाम पर राज्य में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। हालांकि कई मामलों में न्यायालय ने पुलिस द्वारा युवकों को गिरफ्तार किए जाने को भी गलत ठहराया था और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। मुस्लिम नेताओं का यह आरोप है कि यह कानून साम्प्रदायिकता से प्रेरित है और इसे एक विशेष सम्प्रदाय को निशाना बनाने के लिए पारित किया गया है।

मुंबई उर्दू न्यूज (25 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री जनता की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए तरह-तरह के शोशे छेड़ते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के संसदीय मामलों के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कुछ जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर उनसे मस्जिदों में लाउडस्पीकर को हटाने का अनुरोध किया था। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि शुक्ला ने इस संदर्भ में बलिया के जिला मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्हें यह निर्देश दिया था कि वे मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटा दें क्योंकि इससे आमलोगों को परेशानी होती है।

समाचारपत्र ने कहा है कि कई जिलों में राजनीतिक दबाव के कारण प्रशासन ने लाउडस्पीकरों को उतरवा दिया है जो कि सरासर गैरकानूनी है। शुक्ला ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार तीन तलाक के बाद अब मुस्लिम महिलाओं को बुर्का से भी मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनमें बुर्का के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं।

अवधनामा (26 मार्च) के अनुसार शुक्ला के बयान पर टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश के सुन्नी नेता मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि शुक्ला का यह बयान भारतीय संविधान के सरासर खिलाफ है। क्योंकि अजान देना इस्लाम का एक हिस्सा है और अगर किसी मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाया जाता है तो वह भारतीय संविधान की धारा 25 का खुला उल्लंघन है, जिसमें हर भारतवासी को उसके इच्छानुसार धर्म के अनुसार आचरण करने की पूरी छूट दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि शुक्ला ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की जो मांग की है वह इस्लाम में सीधा हस्तक्षेप है। क्योंकि पर्दा इस्लामी शरीयत का हिस्सा है और उस पर आपत्ति करने का किसी को अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को भारतीय संविधान के तहत इस बात का कोई अधिकार हासिल नहीं है कि वह किसी की धार्मिक आस्था में किसी तरह का हस्तक्षेप करे या किसी को उसके धर्म के अनुसार आचरण करने से रोके। मंत्रियों को इस तरह का बयान देकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में कतई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

विश्व

नाइजर में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा सैकड़ों निर्दोषों की हत्या

अफ्रीकी देश नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून में इस्लामिक आतंकवादियों ने कहर बरपा रखा है। अब तक हजारों बेगुनाह लोगों की हत्या की जा चुकी है। लाखों लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से पलायन कर चुके हैं। इस क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। इस गृह युद्ध के पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन अल शबाब का हाथ है, जिसके तार इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं।

इंकलाब (24 मार्च) के अनुसार नाइजर सरकार के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा दक्षिण पश्चिमी नाइजर के एक गांव पर जो हमले किए गए थे उसमें कम-से-कम 137 निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। यह नरसंहार की सबसे भीषण घटना है। सरकारी प्रवक्ता अब्दुर रहमान जाकरिया ने सरकारी टीवी चैनल पर बोलते हुए कहा कि इस्लामिक आतंकवादियों के हमलों में मरने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। मोटरसाइकिलों पर सवार सशस्त्र आतंकवादियों ने माली की सीमा के समीप स्थित अनेक गांवों पर हमला किया और अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार ने तीन दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है। सरकार ने आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र में नए सैनिक दस्ते भेजे हैं।

कुछ सप्ताह पूर्व नाइजर में हुए चुनाव में मोहम्मद बाजौम राष्ट्रपति चुने गए थे। बाद में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उनके निर्वाचन की पुष्टि कर दी। इसके बाद सशस्त्र इस्लामिक आतंकियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या का सिलसिला और भी तेज हो गया है।

इंकलाब (18 मार्च) के अनुसार पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर के टिल्लाबेरी नामक क्षेत्र में यात्रियों से भरी चार गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसमें कम से कम 58 व्यक्ति मारे गए। हालांकि इस हमले की जिम्मेवारी किसी इस्लामिक आतंकवादी संगठन ने नहीं ली है। मगर सरकारी बयान है कि इन हमलों के पीछे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से संबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हरम और अल शबाब का हाथ है।

जनवरी महीने में भी इस क्षेत्र में इस्लामिक आतंकवादियों ने 100 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। आतंकवादियों द्वारा नरसंहार की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौम के लिए नई चुनौती पैदा हो गई है। उन्होंने गत महीने राष्ट्रपति के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद युसूफ को हराया था। जिस जगह आतंकवादियों ने यह नरसंहार किया है वह नाइजर, बुर्किना फासो और माली को जोड़ता है। नाइजर में इस्लामिक आतंकवादी काफी सक्रिय हैं। इससे पूर्व दिसंबर 2019 में जिहादियों ने नाइजर की सेना पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें कम-से-कम 70 सैनिक मारे गए थे। जबकि जनवरी 2020 में इसी तरह से एक अन्य हमले में 89 व्यक्ति मारे गए थे।

टिप्पणी : नाइजीरिया में गत आठ वर्षों से इस्लामिक आतंकवादियों और सरकारी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध के कारण 85 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार इस समय हिंसा से प्रभावित इस क्षेत्र में 69 लाख लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो लाखों लोग भूख और प्यास के कारण दम तोड़ सकते हैं। इस आतंकवादी युद्ध के पीछे इस्लाम के खूनी जिहादी संगठन अल शबाब का हाथ बताया जाता है। जो कि बोको हरम संगठन का ही हिस्सा है। गृह युद्ध के कारण 17 लाख लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। इस क्षेत्र में गृह युद्ध की शुरुआत 2009 में हुई थी। इस युद्ध में हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार नागरिक हो रहे हैं और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को चुनचुनकर निशाना बनाया जा रहा है। अल शबाब, अडमावा, बोर्नो, योबे आदि क्षेत्रों में अधिक सक्रिय है। युद्ध के कारण इस क्षेत्र में खाद्यान और पेयजल की भीषण कमी है और यह सारा क्षेत्र भीषण अकाल की चपेट में है। दस लाख लोगों को हाल ही में अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ा है।

क्या है बोको हरम?

अफ्रीका के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन बोको हरम का मुख्यालय हालांकि उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में है मगर इसके पांव चाड, नाइजर और कैमरून में भी फैले हुए हैं। इसकी स्थापना 2002 में एक सुन्नी अतिवादी मोहम्मद युसूफ ने रखी थी। इन दिनों इस जिहादी खूनी संगठन का नेतृत्व अबूबकर शेखू के हाथ में है। इनका लक्ष्य अफ्रीका में वास्तविक इस्लाम का प्रसार करना और नकली मुसलमानों का सफाया करना है। इस संगठन के तार खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सूत्रों के अनुसार अब तक यह खूनी जिहादी संगठन एक लाख से ज्यादा निर्दोषों के खून से अपने हाथ रंग चुका है और इसके कारण 23 लाख लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्लोबल टेररिज्म

इंडेक्स ने इस खूनी संगठन की गणना विश्व के सबसे खतरनाक संगठनों में की है। नाइजीरिया की सेना ने जुलाई 2009 में इसके प्रमुख मोहम्मद युसूफ की हत्या कर दी थी। मगर इसके बाद अचानक इसकी खूनी गतिविधियों में तेजी आई। कहा जाता है कि इसे विदेशी स्रोतों से भारी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र और आर्थिक सहायता प्राप्त हुई हैं। इस संगठन द्वारा नागरिकों को बंधक बनाकर गुलामों के रूप में अनेक देशों में बेचा जाता है। इस समय इस आतंकी संगठन के नियंत्रण में 50 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बताया जाता है। हाल ही में इस संगठन में विभाजन हुआ है और एक नया जिहादी संगठन पश्चिमी अफ्रीकी इस्लामिक स्टेट वजूद में आया है।

नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी ने यह दावा किया था कि नाइजीरिया से अल शबाब का सफाया किया जा चुका है। मगर उसके बाद इस संगठन ने व्यापक पैमाने पर जो खूनी होली खेली है उससे सरकारी दावे में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। यह इस्लामिक संगठन पश्चिमी शिक्षा का विरोधी है ओर सेक्युलरिज्म को समाप्त करके शरीयत पर आधारित इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। दो वर्ष पूर्व इसने उत्तरी नाइजीरिया में 150 से अधिक ईसाई स्कूलों पर हमला करके उनके शिक्षकों और ईसाई पादरियों की हत्या कर दी थी। बोको हरम के प्रवक्ता ने दावा किया है कि उनका लक्ष्य अफ्रीका में सच्चा इस्लामिक प्रशासन स्थापित करना है जो कि विशुद्ध रूप से कुरान और मोहम्मद की विचारधारा पर आधारित हो। वे अफ्रीका में शरिया पर आधारित कट्टर शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। इसके एक नेता मोहम्मद मुरवाह ने 2019 में घोषणा की है कि हम सेक्युलरिज्म और ईसाईयत को इस्लाम विरोधी मानते हैं और इसे नेस्तनाबुद करके ही दम लेंगे। हमारा एक मात्र मार्गदर्शक कुरान और मोहम्मद है। हम जिहाद द्वारा इस सारे क्षेत्र में इस्लामिक हुकूमत हर कीमत पर स्थापित करेंगे। हम सलाफी विचारधारा के समर्थक हैं और हमें वहाबी सिद्धांतों में कड़ी आस्था है। क्योंकि वही सुन्नी इस्लाम का सबसे विशुद्ध रूप है। इस संगठन ने यह भी घोषणा की है कि वह सूफियों और शियाओं का नामोनिशान मिटा देंगे क्योंकि वे कुरान और इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं।

अल शबाब के वर्तमान प्रमुख शेखू ने यह घोषणा की है कि हर मुसलमान के लिए इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए यह जरूरी है कि वह जिहाद के रास्ते का अनुसरण करके इस्लाम के विरोधियों का सफाया करें। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि सन् 1900 में जब अंग्रेजों ने नाइजीरिया पर कब्जा किया था तो वहां पर मुस्लिम सुल्तान का शासन था। अंग्रेजों के सत्ता में आने के बाद इस क्षेत्र में ईसाई पादरियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई और काफी मुसलमानों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। 1960 में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तब से लेकर सन् 2000 तक यह क्षेत्र सुन्नी सैनिक तानाशाहों के नियंत्रण में रहा। इसके बाद धीरे-धीरे इस क्षेत्र में इस्लामिक जिहादियों और सेना के बीच टकराव शुरू हुआ जो अभी तक जारी है।

श्रीलंका में बुर्का और मदरसों पर पाबंदी की तैयारी

इंकलाब (14 मार्च) के अनुसार श्रीलंका में मुसलमानों पर अनेक प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के मंत्री सारथ वीराशेकरा ने कहा है कि सरकार देश में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अतिरिक्त 1000 इस्लामिक मदरसों को भी बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को समक्ष रखते हुए मुस्लिम महिलाओं द्वारा चेहरे को पूर्णत: ढकने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रारम्भ में श्रीलंका में बुर्का का चलन नहीं था। मगर हाल ही में बढ़ते हुए इस्लामिक अतिवाद के कारण श्रीलंका की महिलाओं में बुर्का का प्रचलन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व श्रीलंका के कुछ गिरजाघरों में इस्लामिक आतंकवादियों ने जो धमाके किए थे उनमें सैकड़ों निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। उनके पीछे भारत में सक्रिय इस्लामिक जिहादी संगठनों का हाथ था। गुप्तचर एजेंसियों ने यह रहस्योद्घाटन किया था कि जिन इस्लामिक आतंकवादियों ने ये धमाके किए थे उनमें से कुछ में भारत में कुछ गुप्त शिविरों में प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

2019 में गिरजाघरों और होटलों पर इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोटों के बाद श्रीलंका में बुर्का पहनने पर अस्थाई तौर पर प्रतिबंध लगाया गया था। मंत्री ने कहा कि सरकार का इरादा 1000 से अधिक इस्लामिक मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का भी है। क्योंकि इन मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रसार को रोकने के लिए यह जरूरी है कि इस बात पर प्रतिबंध लगाया जाए कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई शिक्षा संस्थान न खोल सके और उसमें वह जो चाहे वह न पढ़ा सके।

पिछले वर्ष कोरोना के कारण मरने वाले मुसलमानों के बारे में श्रीलंका सरकार ने यह निर्णय किया था कि कोविड से मरने वालों को उनके शवों को दफनाने की बजाय जलाया जाए। इस फैसले का भी श्रीलंका के मुसलमानों ने जबर्दस्त विरोध किया था और उसे इस्लाम में हस्तक्षेप की संज्ञा दी थी।

श्रीलंका सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए **रोजनामा सहारा** (14 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि श्रीलंका को ऐसे देश के रूप में देखा जाता रहा है जहां पर सरकारी स्तर पर नागरिकों से धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। मगर अब श्रीलंका की सरकार एक नया रास्ता अपनाना चाहती है। इसलिए श्रीलंका में बुर्का पर प्रतिबंध

लगाने और 1000 इस्लामिक स्कूलों को बंद करने का फैसला चौंकाने वाला नहीं है। इस तरह के फैसलों से श्रीलंका सरकार यह संकेत दे रही है कि वह अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रही है। श्रीलंका की सरकार से शिकायत करने से पहले मुसलमानों को यह देखना चाहिए कि इस संदर्भ में इस्लाम और शरा के क्या निर्देश हैं। इनको जानने के लिए उन्हें स्वयं कुरान और हदीस को समझना और पढ़ना चाहिए। क्योंकि श्रीलंका या दुनिया के किसी भी देश में मुसलमानों के लिए एक दिन में हालात खराब नहीं हुए। हुकूमतों को यह समझाना आसान नहीं कि हर कौम में अच्छे और बुरे लोग होते हैं।

अप्रैल 2019 में श्रीलंका में गिरजाघरों और होटलों में धमाके हुए, जिनमें 250 लोग मारे गए। इसके बाद श्रीलंका के मुसलमान संदेह के घेरे में आ गए। मगर इसी वर्ष न्यूजीलैंड के एक शहर में एक व्यक्ति ने मस्जिदों पर गोली चलाकर 51 लोगों को मार डाला और 40 को घायल कर दिया। मगर वहां किसी ने इस घटना को ईसाईयत से जोड़ने की कोशिश नहीं की या मुसलमानों ने यह नहीं कहा कि ईसाई मुसलमानों के खिलाफ है। सवाल यह है कि श्रीलंका में अगर तथाकथित आतंकवादी हरकतें करने वाले मुसलमान थे तो उनकी इस हरकत की सजा शांति पसंद मुसलमानों को क्यों दी जा रही है? अगर बुर्का पर पाबंदी लगाना और इस्लामिक स्कूलों को बंद करना जरूरी है तो न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हमला करने वाले व्यक्ति ने कौन सा नकाब पहन रखा था? या वह किस मदरसे का पढ़ा हुआ था? ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका सरकार बुर्का और इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाकर वहां की असली समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। इस तरह की बातों से विश्व स्तर पर श्रीलंका की साख कमजोर होगी। श्रीलंका सरकार को आर्थिक दृष्टि से देश को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान देना चाहिए मगर वह अपने देश के दस प्रतिशत मुसलमानों पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। दीन को पढ़ाने व समझाने की जिम्मेवारी सिर्फ उलेमा की नहीं है। क्योंकि उनके पास और भी काम हैं। आम लोगों को कुरान और हदीस की जानकारी स्वयं प्राप्त करनी चाहिए। श्रीलंका के मुसलमानों को स्वयं अपनी राह तलाश करनी चाहिए।

इत्तेमाद (16 मार्च) ने श्रीलंका सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए अपने संपादकीय में कहा है कि श्रीलंका में गिरजाघर और होटलों पर किए गए हमलों के बाद से वहां पर मुसलमानों को सख्त प्रतिबंधों और कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देश में मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ 1000 इस्लामिक मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया गया है। इससे पहले भी दुनिया के कई देशों में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अगर श्रीलंका में सरकारी तौर पर मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह दुनिया का 19वां देश बन जाएगा जहां बुर्का पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इन देशों में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमवर्ग, तजाकिस्तान, बुल्गारिया, कैमरून, गैबॉन, मोरक्को, ट्यूनीशिया, चाड, कांगो, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान, नीदरलैंड आदि शामिल हैं।

इससे पूर्व भी कोरोना की आड़ लेकर श्रीलंका सरकार मुसलमानों के शवों को इस्लामिक

तरीके से दफन करने पर भी प्रतिबंध लगा चुकी है। श्रीलंका विश्व भर में एकमात्र ऐसा देश है, जिसमें मुसलमानों को शवों को जलाने पर मजबूर किया गया। यह फैसला सरासर गलत है। श्रीलंका की जनसंख्या दो करोड़ से अधिक है, जिसमें दस प्रतिशत मुसलमान शामिल हैं। 28 अप्रैल 2019 को इस्टर के मौके पर वहां गिरजाघरों में जो धमाके किए गए थे, उसमें 359 लोग मारे गए थे। तब से श्रीलंका का रूख इस्लाम और मुस्लिम विरोधी है। जरूरत इस बात की है कि आतंकवाद का खात्मा विश्व स्तर पर किया जाए न कि इसकी आड़ में किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय को निशाना बनाया जाए। दुनिया भर के देशों को चाहिए कि वे श्रीलंका सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रकट करें।

सियासत (17 मार्च) ने अपने संपादकीय में कहा है कि श्रीलंका जैसे छोटे देश भी अब मुसलमानों के धर्म पर खुलेआम चोट पहुंचा रहे हैं। हाल ही में कोरोना में मरने वाले मुसलमानों के लिए शवों को जलाना वहां की सरकार ने अनिवार्य घोषित कर दिया था। शर्म की बात है कि पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी इस्लामिक देश ने इसका विरोध नहीं किया। अब हाल ही में बुर्का और मदरसों पर भी प्रतिबंध लगाने की श्रीलंका सरकार ने जो घोषणा की है उसके खिलाफ किसी भी मुस्लिम देश ने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। समाचारपत्र ने कहा है कि अब मुसलमानों में मिल्लत की कल्पना दम तोड़ चुकी है। इसलिए यदि कोई देश मुसलमानों का उत्पीड़न करता है तो उसके बारे में किसी भी मुस्लिम देश को कोई चिंता नहीं होती। यही कारण है कि अब इस्लामिक देशों की इजरायल जैसे मुस्लिम दुश्मन देश से भी दोस्ती बढ़ रही है। ■

पाकिस्तान में हिंदुओं पर इस्लामिक शिक्षा थोपे जाने से चिंता

अवधनामा (21 मार्च) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने देश के सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा की है। इस पाठ्यक्रम में इस्लाम की शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के रूप में शुरू किया गया है। इससे पाकिस्तान के गैर मुस्लिम नागरिकों में गहरी चिंता पैदा हो गई है। पाकिस्तान के विख्यात शिक्षाविद् पीटर जैक ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार का नया पाठ्यक्रम पाकिस्तानी संविधान की भावना का खुला उल्लंघन है। क्योंकि इस संविधान में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का अध्ययन करने और उसका अनुसरण करने की पूरी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान द्वारा गठित समान शिक्षा पाठ्यक्रम बोर्ड के सदस्य हैं। मगर उनकी इस आपत्ति पर चरमपंथी मुल्लाओं ने ध्यान नहीं दिया है। पूरे पाकिस्तान में इस महीने से पहली से पांचवीं कक्षा तक छात्र-छात्राओं के लिए नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। इस पाठ्यक्रम में इस्लाम की शिक्षा को सभी छात्रों के लिए अध्ययन करना अनिवार्य घोषित किया गया है।

बीबीसी उर्दू के संवाददाता से बातचीत करते हुए पीटर जैक ने कहा कि यह गैर मुस्लिम पाकिस्तानी नागरिकों के बुनियादी अधिकारों पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 22 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी धार्मिक संस्थान में शिक्षा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की शिक्षा पाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। विशेष

रूप से जब कि यह शिक्षा उसके अपने धर्म से संबंधित न हो। उर्दू की शिक्षा में सारा जोर इस्लामियत पर है। पाठ्यक्रम में उर्दू मॉडल के पाठ्यपुस्तक में पहला पाठ यह है कि 'छात्र सोचें और बताएं अल्लाह ताला ने हमें कौन-कौन सी नियामतें दी हैं'। इसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 11 पर अध्यापकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे सभी बच्चों को हजरत मोहम्मद की शान में नात याद करवाएं और उनसे सुनें।

उन्होंने कहा है कि बच्चों के लिए कोई भी पाठ्यपुस्तक ऐसी नहीं है, जिसमें इस्लाम से संबंधित पाठों को शामिल न किया गया हो। एक ईसाई महिला नरगिस ऐजाज के बच्चे लाहौर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अब उन्हें कक्षा में जबरन कुरान की आयतें पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। वे ईसाई धर्म से संबंधित कोई भी पाठ स्कूल में नहीं पढ़ सकते। उनके लिए इस्लाम की शिक्षा लेना अनिवार्य है। इसी तरह से रमेश कुमार नामक सियालकोट के एक हिंदू को यह शिकायत है कि उसके बच्चे को जबरन कुरान और इस्लाम की शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है जो कि एक अनिवार्य विषय है। क्या इससे साफ नहीं होता कि इस्लाम को जबरन हिंदुओं पर लादा जा रहा है? अगर उर्दू में 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम का हिस्सा इस्लाम पर आधारित होगा तो वहां हिंदुओं को अपने बच्चों को पढ़ाना क्या उचित है? पाकिस्तान के केन्द्रीय शिक्षा मंत्री सफकत महमूद का कहना है कि पाकिस्तान की नींव ही इस्लाम की बुनियाद पर रखी गई है। इसलिए किसी को स्कूलों में इस्लाम की शिक्षा पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। आठवीं कक्षा तक तमाम स्कूलों के बच्चों को सरकार द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम ही हर हालत में पढ़ना होगा। पाकिस्तान में ईसाई और हिंदू काफी संख्या में रहते हैं। इसलिए उन पर जबरन इस्लाम को लादना पाकिस्तान के संविधान की मूल भावना के सरासर खिलाफ है।

रोहिंग्या राहत शिविर में अग्निकांड

इत्तेमाद (24 मार्च) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है कि बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में आग लगने से कम-से-कम 15 व्यक्ति जीवित जल गए, 500 घायल हुए और 400 से ज्यादा लोग लापता है। कम-से-कम दस हजार कैम्प राख का ढेर बन गए हैं। इसका अर्थ यह है कि कम-से-कम 50 हजार लोग बेघर हो गए हैं। आग लगने के कारण चिकित्सा और खाद्य वितरण व्यवस्था ठप हो गई है। बांग्लादेश के उच्चाधिकारियों ने यह घोषणा की है कि इस अग्निकांड की उच्चस्तरीय जांच करवाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार

अगस्त 2017 के बाद म्यांमार में बौद्ध अतिवादियों के हमलों के कारण नौ लाख रोहिंग्या मुसलमानों को अपने घरों से पलायन करके बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकार

जाकिर हुसैन के अनुसार अब तक सत्रह शव बरामद हो चुके हैं और अधिक शव मिलने की संभावना है। इस शिविर में डेढ़ लाख शरणार्थी रह रहे हैं। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो 400 व्यक्ति लापता बताए जाते हैं उनमें से अधिकांश इस अग्निकांड में जलकर राख हो चुके हैं।

इंकलाब (26 मार्च) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने कॉक्स बाजार के रोहिंग्या शरणार्थी शिविर के पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ 40 लाख डॉलर सहायता देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी प्रकोष्ठ ने कहा है कि यह सहायता पहली किश्त के रूप में है। यदि महसूस किया गया तो इस संदर्भ में और भी सहायता दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता के अनुसार इस समय दस-ग्यारह लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में शरण ले रहे हैं। उनकी वापसी की संभावना बहुत कम है।

शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 14 को फांसी

रोजनामा सहारा (25 मार्च) के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने वाले 14 आतंकवादियों को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन आतंकवादियों ने सन् 2000 में शेख हसीना की जनसभाओं में विस्फोट करके उनकी हत्या करने की साजिश रची थी। बताया जाता है कि इन आरोपियों का संबंध जमात-ए-इस्लामी से है। समाचारपत्र के अनुसार शेख हसीना अपने सेक्युलर दृष्टिकोण के कारण बांग्लादेश के अतिवादियों के निशाने पर हैं और वे उन पर दो दर्जन बार घातक हमले करने का प्रयास कर चुके हैं। इन हमलों के बाद बांग्लादेश में सुरक्षा एजेंसियों ने उग्रवादियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पैमाने पर कार्रवाई की थी, जिनमें सौ से अधिक आतंकवादी मारे गए थे और 1000 से अधिक संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था।

बांग्लादेश न्याय विभाग के प्रवक्ता अब्दुल्ला भुलियान के अनुसार न्यायालय ने राष्ट्र द्रोह और हत्या की साजिश के आरोप सिद्ध होने पर चौदह व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई है। इनमें से पांच अभी तक फरार हैं। आरोपियों ने एक कॉलेज के मैदान में दो बम लगाए थे, जहां शेख हसीना को एक जनसभा को संबोधित करना था। मगर गुप्तचर एजेंसियों ने इन बमों का सुराग उनके फटने से पूर्व ही लगा लिया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों का संबंध हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी, जमीयत-उल-मुजाहिद्दीन, बांग्लादेश और जमात-ए-इस्लामी से है। इससे पूर्व इस्लामिक आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी के बांग्लादेश प्रकोष्ठ के प्रमुख मुफ्ती अब्दुल हन्नान और उसके साथियों को ढाका स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त की हत्या का प्रयास करने पर 2017 में फांसी की सजा दी गई थी। शेख हसीना की सरकार गत दो वर्षों में बांग्लादेश की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था जमात-ए-इस्लामी के पांच नेताओं को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का समर्थन करने के आरोप में फांसी पर लटका चुकी है।

पश्चिम एशिया

सऊदी अरब द्वारा यमन में युद्धविराम की पेशकश

इंकलाब (23 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब ने वर्षों से गृह युद्ध के शिकार यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों को युद्ध विराम की पेशकश कर दी है। सऊदी विदेश मंत्री के अनुसार इस युद्ध विराम को संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में लागू किया जाना चाहिए। सऊदी विदेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल-सऊद ने कहा है कि उनके देश ने अरब जगत के सबसे गरीब देश यमन को शांति के नए प्रस्ताव पेश किए हैं, जिनका लक्ष्य वहां पर शांति स्थापना है। इस प्रस्ताव के तहत पूरे यमन में हूती विद्रोहियों को युद्ध विराम की पेशकश की गई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने लागू कर दिया है। हूती विद्रोहियों को साना के हवाई अड्डे को पुनः खोलने और हुदयदाह की बंदरगाह के रास्ते ईंधन और खाद्य वस्तुओं को बाहर से मंगवाने की अनुमति होगी। इस समय साना का हवाई अड्डा और यह बंदरगाह दोनों विद्रोहियों के नियंत्रण में है। इसके साथ ही हूती विद्रोहियों को सऊदी अरब समर्थक यमनी सरकार के साथ अपनी शांति वार्ता भी पुनः शुरू करनी होगी।

यमन में गत छह वर्ष से गृह युद्ध जारी है। सऊदी सरकार का आरोप है कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। हूती विद्रोहियों के एक प्रतिनिधि ने सऊदी प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव में कुछ भी नया नहीं है। मगर इसके बावजूद हूती विद्रोहियों के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि हम सऊदी सरकार और अमेरिका आदि के साथ इस आशा से वार्ता जारी रखेंगे ताकि गृह युद्ध की समाप्ति हो और शांति की कोई राह निकल सके। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब संयुक्त गुट ने विद्रोहियों के खिलाफ जो संगठन बना रखा है उसका भी कहना है कि यमन की वायु और समुद्री नाकेबंदी को समाप्त किया जाए ताकि यमन

के लोगों को भुखमरी से छुटकारा मिले। इस नाकेबंदी का खात्मा शांति वार्ता के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी ओर सऊदी सरकार का दावा है कि यह नाकेबंदी इसलिए की गई है ताकि हूती विद्रोहियों को विदेशों से अस्त्र-शस्त्र प्राप्त न हो। अमेरिका में बाइडेन के सत्ता में आने के बाद सऊदी अरब और यमन से संबंधित अमेरिकी नीति में काफी परिवर्तन आया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि अमेरिका सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई बंद कर देगा परंतु वह आतंकवादी संगठन अलकायदा के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा।

सियासत (24 मार्च) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात ने यमन में युद्ध विराम के सऊदी अरब के शांति प्रस्ताव का समर्थन किया है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अल शेख अब्दुल्ला बिन जाहिद अल-नाहयान ने यह आशा व्यक्त की है कि यमन के संकट के समाधान को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि वे पूर्ण रूप से इस संदर्भ में सऊदी सरकार का समर्थन करते हैं। यह प्रस्ताव विवाद का राजनीतिक समाधान खोजने का स्वर्ण अवसर है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी सऊदी अरब के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और सभी पक्षों से अनुरोध किया है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में युद्ध विराम के लिए वार्ता करें।

टिप्पणी : यमन संकट की शुरुआत 2011 में तब हुई थी जब यमन के तानाशाह राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह ने अपनी सत्ता को उपराष्ट्रपति मंसूर हादी को सौंपने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दक्षिण यमन में जिहादियों ने एक पृथक्कतावादी आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के तार राष्ट्रपति अब्दुल्लाह सालेह से जुड़े हुए थे। इसके जवाब में शिया जो कि हूती कहलाते थे, ने सालेह की सेनाओं के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और उन्होंने यमन के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। कुछ यमनी सुन्नियों ने भी हूतियों का साथ दिया और हूती विद्रोहियों ने 2015 के प्रारम्भ में यमन की राजधानी साना पर कब्जा कर लिया। सत्ता प्राप्ति के लिए हूती विद्रोहियों और सालेह के समर्थकों में संघर्ष शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप उपराष्ट्रपति हादी को जान बचाकर विदेश भागना पड़ा। कहा जाता है कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। इसके जवाब में सऊदी अरब ने आठ अन्य अरब सुन्नी देशों के साथ मिलकर हूतियों पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इस गठबंधन को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का भी समर्थन प्राप्त था। प्रारम्भ में सऊदी अरब का यह अनुमान था कि यह युद्ध कुछ ही सप्ताह तक चलेगा। सऊदी अरब की सहायक सेना ने अगस्त 2015 में अदन के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और उन्होंने हूतियों और उनके सहयोगियों को दक्षिण यमन में धकेल दिया। हादी की सरकार ने अदन में अपना कार्यालय स्थापित करने का प्रयास किया मगर उसे सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी। सऊदी अरब की सेनाएं हूतियों से राजधानी साना और उत्तरी-पश्चिमी यमन को छीनने में विफल रही। हूतियों ने यमन के तीसरे सबसे बड़े नगर ताइज पर अपना कब्जा बरकरार रखा और वे वहां से सऊदी अरब के तेल उत्पादक यंत्रों को मिसाइल और ड्रोन हमलों का निशाना बनाते रहे। इन हमलों के कारण सऊदी अरब में तेल का उत्पादन घटकर आधा रह गया। यमन के गृह युद्ध का लाभ

उठाकर अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ने कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद सऊदी अरब पर हमले और तेज हो गए, जिससे चिढ़कर सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने यमन की नाकेबंदी कड़ी कर दी। दावा यह किया गया कि यह नाकाबंदी इसलिए की गई है ताकि विद्रोहियों को ईरान से अस्त्र-शस्त्र की सप्लाई न हो सके। हालांकि ईरान इससे हमेशा इनकार करता रहा। इस नाकाबंदी के कारण यमन में खाद्यान और ईंधन का भीषण संकट पैदा हो गया। साना की सबसे बड़ी मस्जिद पर कब्जे को लेकर अली अब्दुल्ला सालेह और हूतियों में गठबंधन टूट गया और इसी युद्ध में राष्ट्रपति सालेह मारे गए। जून 2018 में सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने हूतियों के खिलाफ जबर्दस्त युद्ध शुरू किया।

छह महीने के युद्ध के बाद स्वीडन के प्रयास से दोनों में युद्धबंदी हुई और दोनों पक्षों ने हजारों युद्धबंदियों का आदान-प्रदान किया। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण जुलाई 2019 में संयुक्त अरब अमीरात को यमन से अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े। अप्रैल 2002 में साऊथ ट्रांजिशनल काउंसिल ने अदन पर अपना अधिकार कायम कर लिया। सऊदी अरब ने एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की थी जिसे हूतियों ने ठुकरा दिया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण आठ हजार से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं। जबकि जानकार सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या इससे दस गुणा अधिक है। अमेरिका के अनुसार यमन के युद्ध में कम-से-कम एक लाख लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें कई हजार नागरिक भी हैं। इसके अतिरिक्त भूख और पेयजल संकट के कारण भी हजारों नागरिक दम तोड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अप्रैल 2015 से लेकर अक्टूबर 2018 की अवधि में कम-से-कम 85 हजार बच्चे भूख के कारण मर चुके हैं। जबकि भूख और प्यास के कारण 20 लाख बच्चों के शीघ्र दम तोड़ने की संभावना है। इनमें से साढ़े तीन लाख से अधिक बच्चे 5 वर्ष से कम आयु के हैं।

सऊदी अरब में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी

इत्तेमाद (17 मार्च) के अनुसार सऊदी अरब में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है उसके कारण विभिन्न मंत्रालयों के ढाई सौ से अधिक उच्चाधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सऊदी अरब के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बयान के अनुसार पकड़े गए लोगों में स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास मंत्रालय, शिक्षा, समाज कल्याण और कस्टम विभाग के अधिकारी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ रिश्वत लेने, सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग करने और फ्रॉड के आरोप हैं। इस आयोग के एक प्रवक्ता के अनुसार इससे पूर्व भी 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें अरब और विदेशी दोनों शामिल हैं। इस समय 757 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है और मुकदमें तैयार करके उन्हें न्यायालयों में दायर किया जा रहा है। सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने तीन अरब डॉलर विदेश भेजे थे। इस संदर्भ में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गुप्तचर सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है कि सऊदी केन्द्रीय बैंक विदेशी कंपनियों से रिश्वत लेते हैं और इसके बदले में सऊदी अरब से बाहर धनराशि को अवैध रूप से भेजने में सहायता करते हैं।

गत वर्ष सऊदी सरकार ने शाही परिवार से संबंधित कई दर्जन शहजादों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मगर बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसी तरह मार्च 2020 में सऊदी अरब के राजा शाह सलमान के भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज और पूर्व युवराज मोहम्मद बिन नाइफ को भी गिरफ्तार किया गया था। प्रिंस नाइफ को 2017 में वर्तमान राजा के पुत्र मोहम्मद बिन सलमान के पक्ष में युवराज पद को त्यागने के लिए कहा गया था। इसके बाद उन्हें महल में नजरबंद कर दिया गया था। मीडिया के अनुसार युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने गद्दी पर अपने दावे को पक्का करने के लिए सभी प्रतिद्वंद्वियों को किसी न किसी बहाने मैदान से हटा दिया है। सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि शाही परिवार के जिन शहजादों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में लिप्त पाए गए हैं। ■

इजरायल के साथ चार और अरब देशों के संबंध स्थापित होने की संभावना

इत्तेमाद (18 मार्च) के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के परामर्शदाता जेरेड कुशनर ने कहा है कि इजरायल के साथ शीघ्र ही सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन और मौरीटानिया के राजनयिक संबंध स्थापित होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य अरब देश भी इजरायल के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में यह आशा व्यक्त की है कि इजरायल के राजनयिक संबंध कम-से-कम चार और देशों के साथ होने वाले हैं। मगर उन्होंने इन देशों के नामों का खुलासा नहीं किया है।

इनसे पूर्व इजरायल के साथ चार अरब देश संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अबूधाबी के युवराज प्रिंस मोहम्मद बिन जायेद ने इजरायल में 12 अरब डॉलर का पूंजी निवेश करने की घोषणा की है। नेतन्याहू संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाना चाहते थे। मगर जॉर्डन सरकार ने उन्हें अपने क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी थी इसलिए उन्हें अपना दौरा स्थगित करना पड़ा।

बीबीसी उर्दू सर्विस के विश्लेषक असद मिर्जा ने एक आलेख में कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वर्ष 31 अगस्त को इजरायल की विमान सेवा की शुरुआत अबूधाबी से हुई थी और इसके साथ ही वहां इजरायली दूतावास ने अपना काम विधिवत शुरू कर दिया। अबूधाबी ने यहूदी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अपने सभी होटलों को यह निर्देश दिया है कि वे यहूदी ढंग से गोश्त से बने हुए खाद्य पदार्थ परोसना शुरू करें। इसके

अतिरिक्त इजरायली पर्यटकों को होटल के किराए में भी विशेष रियायत दी जा रही है। वर्षों से अरब देशों के दरवाजे यहूदियों के लिए बंद थे और दोनों में इतनी शत्रुता थी कि यदि किसी व्यक्ति के पासपोर्ट पर इजरायल का वीजा लगा पाया जाता था तो उसे किसी भी अरब देश में प्रवेश के लिए वीजा नहीं दिया जाता था। अब कम-से-कम पांच अरब देशों ने यहूदियों को अपने उपासना स्थल बनाने की अनुमति दी है। 2019 में संयुक्त अरब अमीरात में पहली बार मुख्य यहूदी पुजारी की नियुक्ति की गई थी। उनका कहना है कि हजारों वर्षों के बाद अरब देशों में यहूदियों को कदम रखने का अवसर मिला है। यहूदी कशरूत (Kosher) पद्धति का खाना खाते हैं, इसलिए अभी तक उन्हें मुस्लिम देशों में भोजन तलाश करने में परेशानी होती है। पशुओं को वध करने का यहूदी ढंग इस्लामिक ढंग से अलग है। यहूदी इस्लामिक ढंग से वध किए गए किसी भी पशु का मांस नहीं खाते हैं। हैरानी की बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देश इजरायल से अस्त्र-शस्त्र भी खरीदने लगे हैं।

दमिश्क में ईरानी मिलिशिया के ठिकाने पर इजरायली हमले

रोजनामा सहारा (18 मार्च) के अनुसार सीरिया की सरकारी न्यूज चैनल के अनुसार सीरिया की एयर डिफेंस ने राजधानी दमिश्क पर किए जाने वाले इजरायली हमलों को विफल बना दिया है। समाचार के अनुसार इजरायल ने दर्जनों मिसाइल सीरिया के डिफेंस निशानों पर दागे थे। मगर इनको सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने निशानों पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट कर दिया। विदेशी सूत्रों के अनुसार राजधानी दमिश्क में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं जो कि इजरायली हमलों के कारण पैदा हुई थीं। इन हमलों में इजरायलियों ने ईरानी मिलिशिया के गोला बारूद के जखीरों को अपना निशाना बनाया था। मॉनिटरिंग ग्रुप के अनुसार सीरिया के एयरडिफेंस ने इन मिसाइलों को रोकने के लिए विदेशों से प्राप्त मिसाइल विरोधी व्यवस्था का सहारा लिया। गत कुछ महीनों से इजरायल ने सीरिया पर अपने हमलों में वृद्धि की है। गत महीने एक हमले में सीरिया की सेना और ईरानी सेना के सौ से अधिक लोग मारे गए थे। इजरायल ने इन हमलों की जिम्मेवारी कबूल नहीं की है। मगर उसने यह स्वीकार किया है कि गत वर्ष उसने 100 से अधिक मिसाइल सीरिया के ठिकानों पर दागे थे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (20 मार्च) के अनुसार इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि लेबनान इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। हम इस खतरे को दूर करने के लिए लेबनान स्थित इन निशानों को तबाह करने की पूरी क्षमता रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि लेबनान में शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का प्रभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और लेबनान में

सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू नहीं किया है। उन्होंने पेरिस में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने आवासीय क्षेत्रों में हजारों मिसाइलों के अड्डे बना रखे हैं, जिनका उद्देश्य इजरायली ठिकानों को अपना निशाना बनाना है। इसलिए हम अपनी पूरी ताकत से इन अड्डों का सफाया कर देंगे। जहां भी हमें पता चलेगा कि शत्रुओं ने अपना कोई अड्डा इजरायल के विरूद्ध बना रखा है हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। हिजबुल्लाह द्वारा इजरायल के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसके लिए लेबनान सरकार पूरी तरह से दोषी है।

ईरानी जलयान पर इजरायल का हमला

रोजनामा सहारा (15 मार्च 2021) के अनुसार ईरान ने यह आरोप लगाया है कि इजरायल ने उसके एक जलयान पर हमला किया था। जबकि इजरायल ने इस मामले में अभी तक चुप्पी साध रखी है। ईरान के कंटेनर जहाज शाहरे कोर्द पर समुद्र में मिसाइल से हमला किया गया था, जिससे इस जहाज को आग लग गई थी जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जान व माल का नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने आरोप लगाया है कि उसका जहाज किसी अज्ञात मिसाइल का निशाना बनाया गया। ईरान की अर्द्धसरकारी एजेंसी नूर न्यूज ने यह दावा किया है कि जिस स्थान पर इस जहाज को निशाना बनाया गया है उससे यह साफ होता है कि आतंकवाद की यह हरकत इजरायल ने ही की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने कहा कि ईरानी जहाज पर हुआ हमला अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। हम इस हमले के दोषियों का पता लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ईरान की सरकारी शिपिंग कंपनी 'इरिस्ल' (IRISL) ने यह घोषणा की है कि वह इस हमले

के दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। इस घटना के दो सप्ताह पूर्व इजरायल के एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया था। इस हमले में जहाज में दोनों तरफ छेद हो गए थे। इजरायल ने ईरान पर इस हमले का आरोप लगाया था जिसका ईरान ने खंडन किया था।

एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल इस बात का हर संभव प्रयास करेगा कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु अस्त्र-शस्त्र तैयार न कर सके। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे ईरान जैसे अतिवादी देश के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और वे उसे परमाणु ताकत बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

अन्य

इस्लामोफोबिया के खिलाफ विश्व दिवस

इत्तेमाद (16 मार्च) के अनुसार विश्व इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत के प्रति जनमत को जागृत करने के लिए हर वर्ष 15 मार्च को इस्लामोफोबिया निरोधक दिवस मनाने का फैसला किया है। इस संदर्भ में इस संगठन में पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका अनुमोदन सभी देशों ने किया। यह फैसला इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैसी ने यह स्वीकार किया कि विश्व भर में इस्लाम के खिलाफ घृणा की भावना सुनियोजित ढंग से भड़काई जा रही है। इसलिए यह जरूरी है कि मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बढ़ रही घृणा की भावना के निराकरण के लिए विश्व भर के मुसलमानों को जागृत किया जाए।

मुस्लिम संगठन की ओर से दस हिंदू उम्मीदवार चुनावी मैदान में

मुंबई उर्दू न्यूज (16 मार्च) के अनुसार मुस्लिम साम्प्रदायिकता का आरोप झेलने वाले इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनावों में दस हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की घोषणा की है। इस फ्रंट के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। मगर कुछ साम्प्रदायिक पार्टियां हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए उन पर साम्प्रदायिक होने का झूठा आरोप लगा रही हैं। इस आरोप का निराकरण करने के लिए फ्रंट ने 20 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनमें से 10 हिंदू हैं। इस

फैसले से इंडियन सेक्युलर फ्रंट की छवि सुधरेगी और वाम मोर्चा और कांग्रेस को भी लाभ होगा।

फुरफुरा शरीफ दरगाह के सज्जादानशीन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ पहले मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी मगर उनके इस प्रस्ताव को सिद्दीकी ने ठुकरा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को विभाजित करके भाजपा को चुनावों में लाभ पहुंचाने के लिए अपने उम्मीदवारों को खड़े कर रहे हैं। इसलिए वे उनके जाल में नहीं फंसेंगे। इसके साथ ही सिद्दीकी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट की स्थापना करने की भी घोषणा कर दी। उनके फ्रंट ने वाममोर्चा-कांग्रेस से चुनावी गठबंधन किया है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने जिन हिंदू उम्मीदवारों को अपने टिकट पर चुनावी दंगल में उतारा है उनमें रायपुर से मिलन मांडी, महिषादल से विक्रम चटर्जी, चंद्रकोना से गोरंग दास, मंदिर बाजार से सांचे सरकार, हरिपाल से सिमोल सोरेन, राणाघाट से दिनेश चंद्र विस्वास, कृष्णागंज से अनुप मंडल, संदेश खाली से वरूण महतो, चपरा से कंचन मैत्रा और अशोक नगर से तापस चक्रवर्ती शामिल हैं।

उर्दू के प्रचार–प्रसार के लिए इमारत शरिया मैदान में

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 मार्च) के अनुसार झारखंड की इमारत शरिया के अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी ने रांची में उर्दू के विकास और संरक्षण के लिए एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया, जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम और मुसलमानों को जिंदा रहना है तो उन्हें उर्दू का ज्यादा से ज्यादा प्रचार और संरक्षण करना होगा। उन्होंने शिकायत की कि आज देश में सत्तारूढ़ ताकतें मुसलमानों की अलग पहचान को मिटाने पर तुली हुई हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मुसलमान इस्लाम, मदरसों और उर्दू के संरक्षण एवं प्रचार के लिए डटकर मैदान में आएं। इसके लिए यह जरूरी है कि हम उर्दू की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करें। उर्दू की पुस्तकों और समाचारपत्रों को खरीदें। इस्लामिक मदरसे इस्लाम

की रक्षा के किले हैं, इसलिए उनको सुदृढ़ बनाने और मुसलमानों की नई पीढ़ी को इन इस्लामिक मदरसों की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान संपूर्ण झारखंड में चलाया जाए। झारखंड में उर्दू को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 'उर्दू कारवां' नामक एक संगठन बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि हमारी यह मांग है कि झारखंड में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा हासिल हो। इसलिए हम शीघ्र ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके उन्हें उर्दू और उर्दू भाषी जनता की समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और सरकार की उपेक्षा के कारण इस्लामिक मदरसे दिन-प्रतिदिन खत्म हो रहे हैं। उर्दू स्कूल बंद हो रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उर्दू और अपनी इस्लामिक सभ्यता की रक्षा के लिए मुसलमान मैदान में आएं। हाल ही में

झारखंड सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसका अध्ययन करने से यह साफ होता है कि आने वाला समय मुसलमानों और उर्दू के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसलिए यह जरूरी है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस्लामिक मदरसों का जाल बिछाया जाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए।

जम्मू–कश्मीर में शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड

सियासत (3 मार्च) के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने श्रीनगर में यह घोषणा की है कि केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में काफी मुस्लिम वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से अधिकांश पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। केन्द्र सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि इन वक्फ संपत्तियों को इन अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए ताकि इनसे होने वाली आमदनी को मुसलमानों के विकास के लिए खर्च किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लद्दाख में भी एक अलग शिया वक्फ बोर्ड बनाया जा रहा है। इस वर्ष के प्रारम्भ में आगा सैयद हुसैन की अध्यक्षता में अंजुमन शरई सैयान के कार्यालय में उलेमाओं की एक बैठक हुई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर में शिया ओकाफ के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड बनाया जाए। जम्मू-कश्मीर में अभी तक शिया सुन्नी ओकाफ का प्रबंध एक संस्था जम्मू-कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड करती है, जिसकी स्थापना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1932 में की थी। अब शियाओं की यह मांग है कि उनके लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अलग-अलग वक्फ बोर्ड बनाया जाए ताकि उनसे होने वाली आय को शियाओं के उत्थान और विकास पर खर्च किया जा सके।

पॉपुलर फ्रंट का कमांडर गिरफ्तार

इंकलाब (15 मार्च) के अनुसार उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने बस्ती के बस अड्डे के पास से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रशिक्षण कमांडर मोहम्मद राशिद को गिरफ्तार किया है। उस पर देश के खिलाफ साजिश रचने और मुल्क से गद्दारी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के दावे के अनुसार राशिद के कब्जे से पुलिस ने जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ गुप्त दस्तावेज बरामद किए हैं। पूछताछ में राशिद ने यह

स्वीकार किया है कि उसने बम और अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण कश्मीर के गुप्त शिविरों में पाकिस्तानी आतंकवादियों से प्राप्त किया था। इसके बाद पॉपुलर फ्रंट की ओर से उसे यह जिम्मेवारी दी गई थी कि वह पॉपुलर फ्रंट के कैडर को बम बनाने और अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दे। पुलिस इससे पूर्व भी पॉपुलर फ्रंट के एक दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है।

RNI No. DELHIN/2017/72722

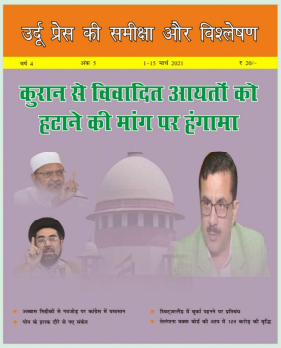

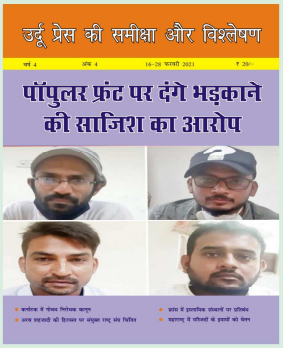

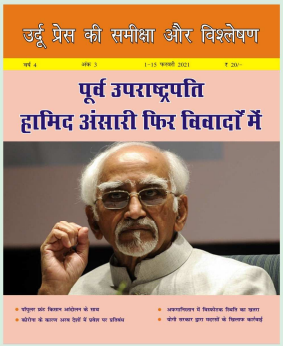

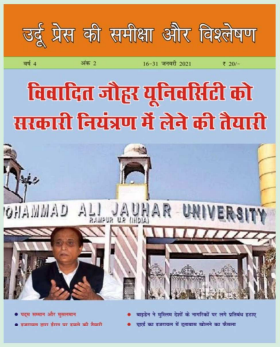

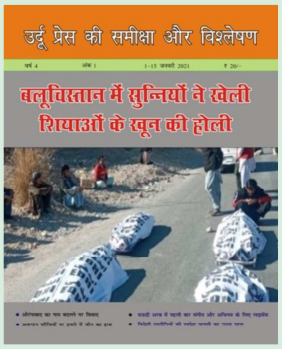

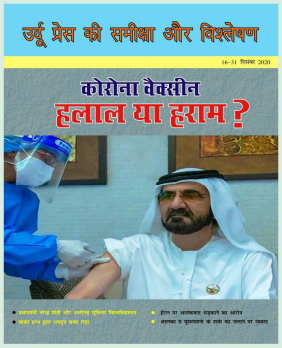

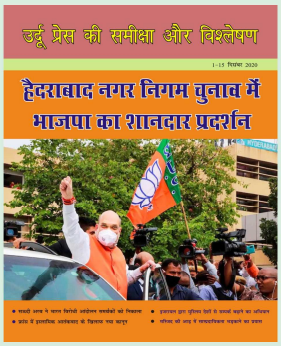

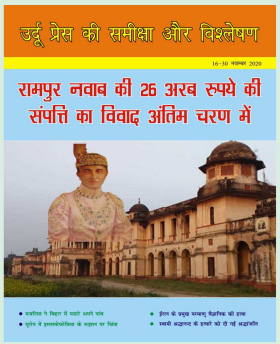

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपयेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, वेबसाइट : indiapolicy@gmail.com